न्यायालय अति0 जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर, राज0

अपील संख्या	रजि0नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/85/2021	2021/247	08.10.2021	22.05.2024

1. रणजीत कुमार योगी पुत्र स्व. श्री सुरज्ञानी निवासी जोगियों की ढाणी ग्राम हमीरपुर तहसील थानागाजी जिला अलवर (राज0)।
2. रामकेश योगी पुत्र स्व. श्री सुरज्ञानी निवासी जोगियों की ढाणी हमीरपुर तहसील थानागाजी जिला अलवर (राज)
3. मनीष कुमार योगी पुत्र स्व.श्री सुरज्ञानी जाति योगी निवासी जोगियों की ढाणी ग्राम हमीरपुर तहसील थानागाजी जिला अलवर राजस्थान।
4. नीरू देवी पुत्री स्व. श्री सुरज्ञानी पत्नि श्री कृष्ण कुमार योगी निवासी हाल ग्राम नाथूसर तहसील थानागाजी जिला अलवर राजस्थान।

—अपीलान्ट्स

बनाम

1. तहसीलदार (भू0अ0) थानागजी जिला अलवर राजस्थान।

—रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व आज्ञा तहसीलदार (भू0अ0) थानागजी जिला राजस्थान दिनांक 10.12.2010 इंतकाल सं0 109 ग्राम हमीरपुर तहसील थानागजी जिला अलवर राजस्थान।

उपस्थितः—

01. श्री के.के. शर्मा —वकील अपीलान्ट

—:निर्णयः—

तहसीलदार (भू0अ0) थानागजी जिला अलवर राजस्थान दिनांक 10.12.2010 इंतकाल सं0 109 ग्राम हमीरपुर तहसील थानागजी जिला राजस्थान विरासत मृतक सुरज्ञानी पुत्र स्व. श्री रामचन्द जाति जोगी निवासी जोगियों की ढाणी ग्राम हमीरपुर तहसील थानागाजी जिला अलवर राजस्थान के खिलाफ यह अपील पेश की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रैस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की रेकार्ड तलब कर बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस मे अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुऐ निवेदन किया कि अपीलान्ट को पूर्व में आज्ञा तहसीलदार (भू0अ0) थानागाजी जिला अलवर राजस्थान दिनांक 10.12.2010 इंतकाल सं0 109 ग्राम हमीरपुर तहसील थानागजी जिला अलवर राजस्थान विरासत मृतक सुरज्ञानी पुत्र स्व. श्री राजचन्द जाति जोगी निवासी जोगियों की ढाणी ग्राम हमीरपुर तहसील थानागजी जिला अलवर राजस्थान की कोई जानकारी नहीं थी। क्योंकि आज्ञा रैस्पाडेन्ट द्वारा हम अपीलान्टस की गैरहाजरी व गैरमौजूदगी में बिना कोई नोटिस जारी किये प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत पीडित पक्षकार कों बिना सुने व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना आदेश पारित किया गया। इसलिए अपील समयावधि में पेश नही की जा सकी, जिसमें हम अपीलान्टस की कोई लापरवाही नहीं है। तहसीलदार (भू0अ0) थानागाजी जिला अलवर राजस्थान दिनांक 10.12.2010 इंतकाल सं0 109 ग्राम हमीरपुर तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0 विरासत मृतक सुरज्ञानी पुत्र स्व. श्री रामचन्द जाति जोगी निवासी जोगियों की ढाणी ग्राम हमीरपुर तहसील थानागजी जिला अलवर राज0 की सर्वप्रथम जानकारी हम अपीलान्टस को दिनांक 02.11.2020 को हुई, जब पटवारी हल्का ने हम अपीलान्टस को हमारे पिता सुरज्ञानी की विरासत से प्राप्त आराजी के राजस्व रिकार्ड की नकल लेने जाने पर मौखिक रूप से उक्त आज्ञा की जानकारी दी। बाद जानकारी आलौच्य आज्ञा की नकल के लिए दिनांक 02.11.2020 को प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत किया, जो नकल दिनांक

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

03.11.2020 को तैयार होकर दिनांक 06.11.2020 को सांयकाल प्राप्त हुई। दिनांक 07.11.2020 को नकल वकील साहब को दिखाकर कानूनी राय ली गई, तो वकील साहब ने अविलम्ब अपील न्यायालय श्रीमान में पेश करने की कानूनी राय दी। इसके बाद दिनांक 08.11.2020 से अपील करने के लिए आवश्यक खर्चे का इंतजाम कर वकील साहब से अपील आदि तैयार कराकर आज अपील सर्वप्रथम जानकारी की दिनांक 02.11.2020 तक का समय हम अपीलान्टस की जानकारी के अभाव में लाइल्मी होने के कारण मियाद में मुजरा दिये जाने योग्य है जहां आज्ञा आरम्भ से ही अवैध व शुन्य हो, तथा पीडित पक्षकार को बिना सुने पारित की गई हो, वहां मियाद का बिन्दु गौण हो जाता है। ऐसी आज्ञा को न्यायहित में कभी भी चैलेन्ज किया जा सकता है, मियाद की कोई पाबन्दी नही है। ऐसा विधि का सुस्थापित सिद्वान्त है। इसलिए मियाद के बिन्दु पर नरम रूख अपनाया जाकर पेशकर्दा अपील अपीलान्टस न्यायाहित में सर्वप्रथम जानकारी की उक्त दिनांक 02.11.2020 से अन्दर मियाद ग्रहण किया जाना अतिआवश्यक है, जिसके लिये प्रार्थना–पत्र जेर दफा 05 परिसीमा अधिनियम 1963 मय हलफनामा अलग से अदालत। आलोच्य आज्ञा इंतकाल न्यायिक विधि एवं तथ्यों एवं मौके व कब्जे व राजस्व रिकार्ड के खिलाफ है। तहसीलदार (भू0अ0) थानागाजी जिला अलवर राजस्थान दिनांक 10.12.2010 इंतकाल सं0 109 ग्राम हमीरपुर तहसील थानागाजी जिला अलवर राजस्थान में वर्णित आराजी वाके ग्राम हमीरपुर तहसील थानागाजी जिला अलवर राजस्थान में स्थित है। उक्त आराजी हम अपीलान्टस के पिता श्री सुरज्ञानी पुत्र स्व. श्री रामचन्द्र जाति जोगी निवासी जोगियों की ढाणी ग्राम हमीरपुर तहसील थानागाजी जिला अलवर राजस्थान की हिस्से कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी थी। हम अपीलान्टस के पिता सुरज्ञानी का स्वर्गवास हो गया। जिनकी विरासत का आलौच्य नामान्तकरण संख्या 109 दिनांक 12.10.2010 को तहसीलदार (भू0अ0) थानागाजी जिला अलवर राजस्थान रैस्पाडेन्ट द्वारा दर्ज व तस्दीक किया गया है। अपीलान्ट संख्या 1 का वास्तविक नाम रणजीत कुमार योगी तथा अपीलान्ट संख्या 2 का वास्तविक नाम रामकेश योगी तथा अपीलान्ट संख्या 3 का वास्तविक नाम मनीष कुमार योगी तथा अपीलान्ट संख्या 4 का वास्तविक नाम नीरू देवी है, तथा हमारे पहचान सम्बन्धी समस्त दस्तावेज यथा परिवार राशन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि आलोच्य आज्ञा जेर बहस अपील में रैस्पाडेन्द द्वारा बिना वारिसान के सही नाम जांच किये, अपीलान्ट संख्या 1 का नाम सुलतान है, तथा अपीलान्ट संख्या 2 का नाम कल्याण तथा अपीलान्ट संख्या 3 का नाम पल्ला तथा अपीलान्ट संख्या 4 का नाम मीरा दर्ज कर दिया गया है जो कि कानून गलत है जिस गलत अंकन की जानकारी हम अपीलान्टस को राजस्व रिकार्ड की नकल लेने पर हुई है। इसलिए अपीलाधीन आज्ञा को संशोधित कर उसमें दर्ज अपीलान्ट संख्या 1 का नाम सुलतान तथा अपीलान्ट संख्या 2 का नाम कल्याण तथा अपीलान्ट संख्या 3 का नाम पल्ला तथा अपीलान्ट संख्या 4 का नाम मीरा को कलमजन कर उसके स्थान पर अपीलान्ट संख्या 1 का वास्तविक नाम रणजीत कुमार योगी तथा अपीलान्ट संख्या 2 का वास्तविक नाम रामकेश योगी तथा अपीलान्ट संख्या 3 का वास्तविक नाम मरीष कुमार योगी तथा अपीलान्ट संख्या 4 का वास्तविक नाम नीरू देवी दर्ज किया जाना न्यायाहित में अतिआवश्यक है अपीलाधीन आज्ञा के कायम रहने से अपीलान्टस के अधिकारों पर विपरीत असर पडता है। और अपीलान्टस को उक्त आराजी पर .ण व पटटा आदि जारी कराने में परेशानियों को सामना करना पड रहा है। रैस्पाडेन्ट ने आलोच्य आज्ञा नामांतकरण पारित करने से पूर्व अपीलाण्ट जो कि पीडित व हितबद्व पक्षकार है, को तलब नही किया गया, ना अपीलाण्टस को कोई सुनवाई अथवा साक्ष्य पेश करने का समुचित अवसर दिया गया। ऐसी अवस्था में आलोच्य आज्ञा नामांतकरण मनमानी तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्वातों के खिलाफ पारित किया गया है। तहत अदालत ने अपीलाधीन आज्ञा खिलाफ तथ्य कानून मौका साक्ष्य प्रतिपादित न्यायिक सिद्वान्तों एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्वान्त व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधानों के विपरीत निष्कर्ष निकालते हुये पारित की है। अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 10.12.2010 इंतकाल संख्या 109 वाके ग्राम हमीरपुर तहसील थानागाजी निरस्त फरमाया जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर चिन्तन व मनन किया। सर्वप्रथम प्रा0पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम पर विचार किया गया। अपीलांट द्वारा उक्त अपील अपीलाधीन आदेश दि0 10.12.2010 के विरूद्व दिनांक 11.11.2020 को पेश की गयी है। जो करीब 10 वर्ष के विलम्ब से पेश की गई है। फिर भी माननीय राजस्व मण्डल

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

राज0 अजमेर के द्वारा पारित विभिन्न दृष्टांतों के मद्देनजर नरमी का रूख अपनाते हुए अपील अपीलांट्स अन्दर मियाद शुमार की जाती है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वकील अपीलांट्स द्वारा अपीलांट्स के आधार कार्ड, अंकतालिका की फोटोप्रति पेश की गयी है, जिसमें अपीलांट्स के नाम सुल्तान के स्थान पर रणजीत कुमार योगी, कल्याण के स्थान पर रामकेश योगी, पल्ला के स्थान पर मनीष कुमार योगी एवं मीरा के स्थान पर नीरू देवी अंकित है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं वकील अपीलांट्स की बहस, अपील में वर्णित कथनों के आधार पर अपील अपीलांट्स स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट्स स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार थानागजी का आदेश दिनांक 10.12.2010 इंतकाल संख्या 109 वाके ग्राम हमीरपुर, तहसील थानागाजी निरस्त किया जाता है तथा अपील अपीलांट्स अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार थानागाजी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि अपीलांट्स के दस्तावेजात का अवलोकन कर नियमों के आलोक में पुनः विधिसम्मत् निर्णय पारित करें। निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय के मूल रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावें। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल रिकॉर्ड हो।

निर्णय आज दिनांक 22.05.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(वीरेन्द्र कुमार वर्मा)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर राज0